

# Customer Education Literature



**Satin Housing Finance Limited**

# ग्राहक शिक्षा साहित्य



सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड



# Overview

In compliance with RBI circular RBI/2021-2022/125 dated 12 Nov 2021 on IRACP (Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances) norms – point no. G on consumer education, lending institutions are required to place Consumer Education Literature on their websites for increasing awareness among consumers w.r.t concepts of overdue, SMA and NPA classification and upgradation.

Accordingly, the concepts/ clarifications/ illustrative examples on due dates and specification of SMA/ NPA have been detailed out for your ready reference.



# अवलोकन

आईआरएसीपी (आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान) मानदंडों पर आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/2021-2022/125 दिनांक 12 नवंबर 2021 के अनुपालन में - बिंदु संख्या G अतिदेय, एसएमए और एनपीए वर्गीकरण और उन्नयन की अवधारणाओं के संबंध में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता शिक्षा पर ऋणदाता संस्थानों को उपभोक्ता शिक्षा साहित्य को अपनी वेबसाइटों पर रखना आवश्यक है।

तदनुसार, आपके तैयार संदर्भ के लिए एसएमए/एनपीए की देय तिथियों और विशिष्टताओं पर अवधारणाओं/स्पष्टीकरणों/उदाहरणों के उदाहरणों का विवरण दिया गया है।

**Dues:** Indicate the principal/ interest/ any charges levied on the loan account which are payable within the period stipulated as per the terms of sanction of the credit facility

# Terminology

---

**Overdue:** Indicates the principal/ interest/ any charges levied on the loan account which are payable but have not been paid within the period stipulated as per the terms of sanction of the credit facility/Loan. In other words, any amount due to the Company under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the Company.




**बकाया:** यह ऋण खाते पर लगाए गए मूलधन/ब्याज/ किसी भी शुल्क को इंगित करता है जो ऋण सुविधा की मंजूरी की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर देय हैं।

## शब्दावली

**अतिदेय :** यह ऋण खाते पर लगाए गए मूलधन/ब्याज/किसी भी शुल्क को इंगित करता है जो देय हैं लेकिन क्रेडिट सुविधा/ ऋण की मंजूरी की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, किसी भी क्रेडिट सुविधा के तहत कंपनी को देय कोई भी राशि 'अतिदेय' है यदि कंपनी द्वारा निर्धारित देय तिथि पर इसका भुगतान नहीं किया जाता है।




# Terminology



**Non Performing Assets (NPA):** Non-performing assets means a loan asset, in respect of which, interest has remained overdue for period of more than ninety days. Where several facilities have been granted to a borrower, even if one of the facilities is required to be classified as NPA, all the facilities granted to the borrower in the same capacity would also be classified as NPA, even if few of them may be in order. Classification of account as NPA is irrespective of the security available.



# शब्दावली



**गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) :** गैर-निष्पादित आस्तियों का अर्थ एक ऋण परिसंपत्ति है, जिसके संबंध में ब्याज नब्बे दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहा है। जहां एक उधारकर्ता को कई सुविधाएं प्रदान की गई हैं, भले ही सुविधाओं में से एक को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता हो, उसी क्षमता में उधारकर्ता को दी गई सभी सुविधाएं भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी, भले ही उनमें से कुछ में हो गण। एनपीए के रूप में खाते का वर्गीकरण उपलब्ध सुरक्षा पर ध्यान दिए बिना है।



# Classification as Special Mention Account (SMA) and Non-Performing Asset (NPA)

The classification of SMA/NPA will be done as part of day end process for the relevant calendar date. An account of a borrower will be classified as SMA or/and NPA as per the illustration in next slide:



# स्पेशल मेंशन अकाउंट (एसएमए) और नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण



एसएमए/एनपीए का वर्गीकरण प्रासंगिक कैलेंडर तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किया जाएगा। एक उधारकर्ता के खाते को अगली स्लाइड में दिए गए उदाहरण के अनुसार एसएमए या/और एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:



SMA Sub-categories	Basis for classification – Principal or interest payment or any other amount wholly or partly overdue
SMA-0	Upto 30 days
SMA-1	More than 30 days and upto 60 days
SMA-2	More than 60 days and upto 90 days

If due date of a loan account is March 31, 2021, and full dues are not received before the lending institution runs the day-end process for this date, the date of overdue shall be March 31, 2021. If it continues to remain overdue, then this account shall get tagged as SMA-1 upon running day-end process on April 30, 2021 i.e. upon completion of 30 days of being continuously overdue. Accordingly, the date of SMA-1 classification for that account shall be April 30, 2021.

Similarly, if the account continues to remain overdue, it shall get tagged as SMA-2 upon running day-end process on May 30, 2021 and if continues to remain overdue further, it shall get classified as NPA upon running day-end process on June 29,2021.

**❑ Upgradation of accounts classified as NPA**

- Loan accounts classified as NPAs may be upgraded as ‘standard’ asset only if entire arrears of interest and principal are paid by the borrower or as per RBI guidelines.



एसएमए उप-श्रेणियां	वर्गीकरण के लिए आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय
एसएमए-0	30 दिनों तक
एसएमए-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और ऋण देने वाली संस्था द्वारा इस तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2021 होगी। यदि यह अतिदेय बनी रहती है, तो इस खाते को 30 अप्रैल, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर यानी लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर SMA-1 के रूप में टैग किया जाएगा। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल, 2021 होगी।

इसी तरह, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर एसएमए -2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 29 जून 2021।

## □ एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों का उन्नयन

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' संपत्ति के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है, यदि ब्याज और मूलधन की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान उधारकर्ता द्वारा या आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।



**Please note that that the aforesaid few examples are illustrative and not exhaustive in nature covering common scenarios and that the IRACP norms and clarifications provided by RBI on the subjects referred above shall prevail.**

**Should you require any clarifications or assistance, please reach us at our toll free numbers or contact your Relationship Manager for further details.**



कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त कुछ उदाहरण उदाहरणात्मक हैं और सामान्य परिदृश्यों को कवर करने वाली प्रकृति में संपूर्ण नहीं हैं और ऊपर उल्लिखित विषयों पर आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए आईआरएसीपी मानदंड और स्पष्टीकरण मान्य होंगे।

यदि आपको किसी स्पष्टीकरण या सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया हमारे टोल फ्री नंबरों पर संपर्क करें या अधिक जानकारी के लिए अपने रिलेशनशिप मैनेजर से संपर्क करें।